अध्याय VI: उर्वरक मंत्रालय

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड

6.1 आरसीएफ के हितों की रक्षा करने में असफलता

निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में असफलता तथा संविदाकारों को उनकी आवश्यकता से अधिक कच्चे माल की आपूर्ति का युग्मित परिणाम ₹4.85 करोड की राशि की रूकावट (ब्लॉकिज) के रूप में हुआ।

आरसीएफ ने सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के विनिर्माण के लिए मैसर्स देवयानी फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड (डीपीपीएल) के साथ एक संविदा (अप्रैल 2011) की। आरसीएफ ने डीपीपीएल को रॉक फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और बोरा (बैगस्) उपलब्ध कराना था। डीपीपीएल एसएसपी का निर्माण करता और इसे आसीएफ को सुपुर्द करता। उत्पादित एसएसपी के लिए आरसीएफ भारत सरकार से सब्सिडी का दावा करता।

आरसीएफ द्वारा जारी की गई निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, सफल बोलीदाता को ₹1 करोड मूल्य की बैंक प्रत्याभूति के रूप में सुरक्षा जमा उपलब्ध करानी थी तथा सभी उधारदाताओं से "नो चार्ज" प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि यद्यपि ये शर्तें डीपीपीएल द्वारा पूरी नहीं की गई थीं, फिर भी उनके साथ निम्नलिखित तरीके से शर्तों को शिथिल करते हुए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए:

- आरसीएफ के निदेशक-मण्डल ने डीपीपीएल की खराब वित्तीय स्थिति होने के बावजूद, ₹ 1 करोड़ के मूल्य की बैंक प्रत्याभूति की प्रस्तुति की आवश्यकता में छूट दे दी (जुलाई 2011)। तत्पश्चात, मई, 2012 में, डीपीपीएल इसके रनिंग बिलों से 20 प्रतिशत की कटौती और ₹4 लाख की बयाना राशि[1] (ईएमडी) को सुरक्षा जमा में बदलने के लिए राजी हुआ। अप्रैल, 2013 तक, आरसीएफ ₹94.06 लाख की सुरक्षा जमा का संचयन कर चुका था।

- डीपीपीएल ने आरसीएफ को सूचित किया है (जुलाई 2011) कि डीपीपीएल की संपत्तियाँ पूर्णरूपेण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, डीपीपीएल के लिए उधारदाता, के पास बंधक रखी हुई थीं और बैंक इसकी देयताओं की वसूली के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत पहले ही नोटिस दे चुका था। आरसीएफ

[1] ***ईएमडी: बयाना राशि जमा***

के निदेशक-मण्डल ने निर्देश दिया कि आरसीएफ के तैयार माल और आरसीएफ द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की सुरक्षा करने के लिए एसबीबीजे के साथ एक अनुबंध किया जाना है। तदनुसार, एसबीबीजे से अनापात्रि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर डीपीपीएल, एसबीबीजे और आरसीएफ के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आरसीएफ ने सितंबर 2011 से डीपीपीएल को सामग्री की आपूर्ति करना आरंभ किया। डीपीपीएल स्थित अंतिम स्टॉक का आरसीएफ द्वारा मासिक आधार पर मिलान किया जाना था। अक्टूबर, 2012 में मिलान के दौरान, आरसीएफ ने अवलोकन किया कि डीपीपीएल द्वारा रिपोर्ट किए गए रॉक फास्फेट (आरसीएफ द्वारा आपूर्ति किया गया कच्चा माल) का अंतिम स्टॉक प्रत्यक्ष अंतिम स्टॉक के साथ मेल नहीं खाता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस विसंगति की सूचना देने के बाद भी, आरसीएफ ने नवंबर 2012 से जनवरी 2013 तक डीपीपीएल को रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति करना जारी रखा। यह देखा गया कि नवंबर 2012 में रॉक फॉस्फेट का प्रारंभिक शेष 5232.72 मीट्रिक टन था जबकि पिछले साल से (नवंबर 2011 से नवंबर 2012) रॉक फॉस्फेट का औसत मासिक उपभोग 1382.91 मीट्रिक टन ही था। इस प्रकार, नवंबर 2012 में उपलब्ध रॉक फॉस्फेट का प्रारंभिक शेष तीन महीनों से ज्यादा के औसत उपभोग के लिए पर्याप्त था। नवंबर, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान रॉक फॉस्फेट के 5459.45 मीट्रिक टन की अतिरिक्त आपूर्ति वास्तविक आवश्यकता से परे थी।

आरसीएफ ने जनवरी 2013 में डीपीपीएल के साथ निविदा की समाप्ति के लिए एक नोटिस जारी किया तथा अंततः अप्रैल 2013 में संविदा समाप्त कर दी गई थी। यद्यपि, डीपीपीएल ने जनवरी, 2013 में नोटिस जारी होने के उपरांत कोई रॉक फॉस्फेट जारी नहीं किया, तथापि संविदा की समाप्ति के समय (अप्रैल 2013) रॉक फॉस्फेट का शेष स्टॉक बचा रहा। डीपीपीएल ने शेष स्टॉक आरसीएफ को नहीं लौटाया, नहीं लौटाए गए 4568 मीट्रिक टन स्टॉक का मूल्य ₹4.85 करोड़ है।

आरसीएफ ने नहीं लौटाए गए स्टॉक हेतु बीमा का दावा किया है और वर्तमान में इस राशि की वसूली से संबंधित मामला विवादग्रस्त है। आरसीएफ ₹4.85 करोड की रूकावट से बच सकता था, यदि उसने नवंबर 2012 से जनवरी 2013 तक डीपीपीएल को अतिरिक्त रॉक फॉस्फेट की आपूर्तियाँ नहीं की होती।

प्रबंधन ने (सितंबर 2016) निम्नानुसार कहा:

(i) आरसीएफ को जुलाई, 2011 में ही डीपीपीएल की खराब वित्तीय स्थितियों के बारे में पता चल पाया जब डीपीपीएल ने कंपनी का इस बात की ओर ध्यान दिलाया। मण्डल बैंक प्रत्याभूति की अस्थायी छूट के लिए सहमत हो गया था तथा बैंक प्रत्याभूति मूल्य की कटौती संविदा के समापन तक बैंक प्रत्याभूति के एक बडे अंश के संग्रहण में सक्षम होने के लिए रनिंग बिलों से की गई थी। उत्पादन, आरसीएफ सामग्री की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौता होने के उपरांत ही आरंभ हुआ।

(ii) डीपीपीएल को आपूर्ति की गई सामग्री की संरक्षा का सुनिश्चय संविदा अवधि से ऊपर आरसीएफ को डीपीपीएल की संपूर्ण इकाई समर्पित करते हुए किया था। आरसीएफ की सामग्री की संरक्षा का सुनिश्चय आपूर्ति की गई सामग्री के बीमा द्वारा भी किया गया था। डीपीपीएल द्वारा गैर विनियोजित रॉक फॉस्फेट बीमा के अधीन शामिल है और दावा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के आलोक में स्वीकार्य नहीं हैः

(i) आरसीएफ की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बाद भी, आरसीएफ बोर्ड द्वारा डीपीपीएल के साथ संविदा हेतु निविदा शर्तों की तुलना में महत्वपूर्ण शिथिलीकरण किए थे जो कि आरसीएफ के हित में नहीं थे।

(ii) यद्यपि डीपीपीएल की पूरी इकाई आरसीएफ को एसएसपी के विनिर्माण के लिए समर्पित थी, फिर भी इसने रॉक फॉस्फेट आपूर्तियों की संरक्षा नहीं की और डीपीपीएल के पास नहीं लौटाए गए रॉक फॉस्फेट का भारी स्टॉक शेष रहा।

(iii) डीपीपीएल के पास रॉक फॉस्फेट के अंतिम स्टॉक में विसंगतियों पर ध्यान देने (अक्टूबर 2012) के बाद, रॉक फॉस्फेट का आगे का विमोचन उत्पादन की आवश्यकतानुसार सख्ती से किया जाना चाहिए था। उक्त की असफलता का परिणाम डीपीपीएल को रॉक फॉस्फेट की अधिक आपूर्ति के रूप में हुआ जिसे संविदा के समापन के समय उनके द्वारा नहीं लौटाया।

इस प्रकार, संविदागत प्रावधानों/निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में असफलता तथा संविदाकारों को आवश्यकता से अधिक कच्चे माल की आपूर्ति का परिणाम ₹4.85 करोड की राशि की रूकावट (ब्लॉकिज) के रूप में हुआ।

मंत्रालय को अक्टूबर 2016 में मामले से अवगत कराया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।